ओंकार लाल बनाम मनीषा

187/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० तहसीलदार सांगानेर से कब्जेजात रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस कब्जेजात रिपोर्ट दिनांक 14/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	[illegible] 12/6/24	
	14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० बहस कब्जेजात रिपोर्ट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	19/6/24	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वादी का वाद मय कब्जेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है अन्तिम रूप से डिक्री [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] नियमानुसार [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 187/2023
निर्णय दिनांक : 19.06.2024

1. ओके प्लस कॉलोनाइजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा. लिमि. जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72–ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

वादी

बनाम

1. अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
3. गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
4. मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
6. रामस्वरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरवंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। सेंट राजस्थान राज्य सरकार वाया सैकानेर, तहसील सांगानेर, जिला

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी के वाद में दिनांक 03.01.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 19.01.2024 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू०अ०/कुर्रेजात/2024/3608 दिनॉक 17.05.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील वादी उपस्थित, वकील वादी को तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपने बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस वादी अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

व बहस का मनन करने पर वादी का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई पटवार हल्का कल्याणपुरा भूअभि निः क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 355/2 रकबा 1.4366 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	95	अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, हिस्सा 6689/287311, कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 6689/1149244, गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 6689/1149244, राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग हिस्सा 6689/574622 जाति अग्रवाल, मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट हिस्सा 6689/287311, रामस्वरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण हिस्सा 18814/1436555, हरेकृष्ण होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 1317406/1436555	355/2	1.4366		
		कुल किता	1	1.4366		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज						
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.		हरेकृष्ण होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी	355/2 मि.	0.4178		पीला
		कुल किता	1	0.4178		
2.		अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, हिस्सा 1/2, कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1/8, गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1/8, राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग हिस्सा 1/4 जाति अग्रवाल जयपुर	355 मि.	0.0668		आसमानी
		कुल किता	1	0.0668 हैक्टेयर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3		हरेकृष्ण होटल्स प्रा० लि० जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 8997 / 9520, मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट हिस्सा 334 / 9520, रामस्वरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति बागड़ा ब्राह्मण हिस्सा 188 / 9520, अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, हिस्सा 1 / 9520,	355 / 2	0.9520		लाल
		कुल किता	1			

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति वाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 187 / 2023
निर्णय दिनांक : 19.06.2024

1. ओके प्लस कॉलोनाइजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा. लिमि. जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72–ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

वादी

बनाम

1. अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
3. गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
4. मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तुलसीदास जी की बगीची, तहसील व जिला जयपुर।
6. रामस्वरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मम्ण, निवासी ग्राम हरवंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। सेंट राजस्थान राज्य सरकार वाया सैकानेर, तहसील सांगानेर, जिला

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई पटवार हल्का कल्याणपुरा भूअभि निः क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 355 / 2 रकबा 1.4366 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

		राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	95	अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन [illegible], हिस्सा 6689 / 287[illegible]1, कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गो[illegible] हिस्सा 6689 / 1149244, गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल हि[illegible] 6689 / 1149244,	[illegible]5 / 2	1.4366		

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग हिस्सा 6689 / 574622 जाति अग्रवाल, मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट हिस्सा 6689 / 287311, रामरवरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण हिस्सा 18814 / 1436555, हरेकृष्ण होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 1317406 / 1436555				
		कुल किता	1	1.4366		

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.		हरेकृष्ण होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी	355 / 2 मि.	0.4178		पीला
		कुल किता	1	0.4178		
2.		अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, हिस्सा 1 / 2, कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1 / 8, गोपाल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1 / 8, राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग हिस्सा 1 / 4 जाति अग्रवाल, जयपुर	355 मि.	0.0668		आसमानी
		कुल किता	1	0.0668	हैक्टेयर	
3		हरेकृष्ण होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 8997 / 9520, मुकेश पुत्र कजोडमल, जाति जाट हिस्सा 334 / 9520, रामस्वरूप शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण हिस्सा 188 / 9520, अर्चना गर्ग पत्नी राधारमन गर्ग, हिस्सा 1 / 9520	355 / 2	0.9520		लाल
		कुल किता				

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकाशमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2024 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested